न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री सुनीय आर्य, आर. ए. एस.

अपील संख्याः– 47/21(223 आर. टी. एक्ट)
जीसीएमएस संख्या 2021/131

उनवान

1. मुसम्मात बादामी पत्नी बद्रीप्रसाद जाति राजपूत निवासी सिंघावली कला तहसील राजाखेडा जिला धौलपुर।

.....अपीलांट।

बनाम

1. महेन्द्र सिंह पुत्र स्व0 बाबूलाल उर्फ बाबू सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम बसई घीयाराम हाल निवासी खिडकी मौहल्ला गवालियर ।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजाखेडा।

..... रेस्पोडेण्ट

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री न्याया0 उपखण्ड अधिकारी राजाखेडा दि0 11.02.2021 प्र.सं. 118/14 उनवानी महेन्द्र सिंह बनाम बादामीं

उपस्थित :–

1. श्री राजेन्द्र सिंह राणा वकील अपीलांट।
2. श्री जगदीश प्रसाद राजपूत वकील रैस्पो0।

निर्णय दिनांक–19.11.2024

1. यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजाखेडा के निर्णय दिनांक 11.02.2021 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी/रैस्पो0 ने एक दावा अंतर्गत धारा 88, 188 व 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध प्रतिवादी/अपीलाण्ट इस आशय का पेश किया कि वाद पत्र में अंकित विवादित आराजी वाके ग्राम सदापुर तहसील राजाखेडा जिला धौलपुर के तत्कालीन खातेदार काश्तकार वादी रैस्पो0 के दादा एवं चाची मुस0 चमेली वेवा स्व0 भुम्मजीत के ससुर स्व0 गुलुआ उर्फ गुलवर थे। जिनकी मृत्यु के पश्चात् उक्त आराजी पर विरासतन हकूक खातेदारी उनके सबसे नजदीक वारिसान एवं कायम मुकामान, उनके दोनों पुत्रगण स्व0 बाबूलाल पिता वादी रैस्पो0 व वादी रैस्पो0 के चाचा स्व0 छोटेलाल उर्फ छोटे सिंह तथा वादी रैस्पो0 की चाची मुस0 चमेली वेवा भुम्मजीत जिसके पति स्व0 भुम्मजीत की मृत्यु वादी रैस्पो0 के दादा स्व0 गुलुआ उर्फ गुलवा के जीवन काल में ही आज से अर्सा करीब 67 वर्ष हो चुकी थी को वहिस्सा बराबर 1/3–1/3 हासिल हुये और वह अपने जीवन काल तक उक्त आराजी को सम्मिलित काश्त करते रहे। परन्तु वादी रैस्पो0 के दादा स्व0 गुलुआ उर्फ गुलुवा की मृत्यु के पश्चात् उक्त आराजी के राजस्व रिकार्ड में वादी रैस्पो0 की चाची मुस0 चमेली वेवा भुम्मजीत को छोडकर

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

वादी रैस्पो0 के पिता स्व0 बाबूलाल एवं वादी रैस्पो0 के चाचा स्व0 छोटेलाल पुत्र स्व0 गुलुआ की मृत्यु जो आर से अर्सा करीब 63 वर्ष पूर्व हो चुकी है। जिस समय वादी रैस्पो0 अपनी मॉ के गर्भ में करीब चार माह का था के पश्चात् उनके द्वारा छोडी हुई उक्त आराजी एवं दीगर समस्त चल व अचल सम्पत्ति पर विरासतन हकूक वादी रैस्पो0 एवं वादी रैस्पो0 की मॉ स्व0 मोहन देवी वेवा स्व0 बाबूलाल उर्फ बाबू सिंह का वहिस्सा बराबर के हिसाब से हासिल हुये परन्तु दौराने तत्कालीन बंदोबस्त कर्मचारियों से साज कर वादी रैस्पो0 की मॉ एवं वादी रैस्पो0 की चाची मुस0 चमेली वेवा स्व0 श्री भुम्मजीत ने उक्त कथित आराजी को वादी रैस्पो0 के चाचा स्व0 छोटेलाल पुत्र स्व0 गुलुआ को छोडकर वहिस्सा बराबर के हिसाब से 1/2–1/2 हिस्से पर अपने नाम गलत तौर पर इंद्राज करा लिया। जबकि मौके पर वादी रैस्पो0 के चाचा स्व0 छोटेलाल पुत्र स्व0 गुलुआ उक्त आराजी के अपने 1/2 हिस्से पर वादी रैस्पो0 की मॉ एवं वादी रैस्पो0 की चाची मुस0 चमेली के साथ सम्मिलित रूप से काश्त करते रहे। वादी रैस्पो0 के चाचा स्व0 छोटेलाल की मृत्यु के पश्चात् राजस्व रिकार्ड में नाम लोपित होने की जानकारी होने पर उन्होनें अपने जीवन काल में ही एक दावा किया जो अधीनस्थ न्यायालय से इकबाल दावा प्रस्तुत होने के आधार पर दिनांक 05.02.1988 को डिक्री हुआ एवं विवादित आराजी में 1/3 का खातेदार काश्तकार घोषित किया गया। परन्तु उक्त डिक्री का राजस्व अभिलेख में अमल नहीं हो पाया। वादी रैस्पो0 के चाचा स्व0 छोटेलाल वगैर शादी एवं लाऔलाद फौत हुये जिनकी सेवा सुश्रुषा वादी रैस्पो0 ने ही की। अतः उनके सबसे नजदीक वारिस वादी रैस्पो0 ही रहे। वादी रैस्पो0 की सेवा से खुश होकर उन्होंनें एक वसीयत वादी रैस्पो0 के पक्ष में की गयी। अतः वादी रैस्पो0 उनकी समस्त चल अचल सम्पत्ति का मालिक हुआ। इस प्रकार वादी रैस्पो0 विवादित आराजी में 2/3 हिस्से का खातेदार है। परन्तु वादी रैस्पो0 की चाची ने विवादित आराजी में अपने 1/3 हिस्से की बजाय गलत तौर पर 1/2 के इन्द्राज करा लिये एवं उक्त गलत इन्द्राज के आधार पर 1/2 हिस्से का रजिस्टर्ड वयनामा प्रतिवादी अपीलाण्ट के पक्ष में कर दिया। अतः वादी रैस्पो0 उक्त वयनामा को शून्य घोषित करा पाने का अधिकारी है। अतः वाद प्रस्तुत कर उक्तानुसार डिक्री किये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश से डिक्री कर दिया। जिससे व्यथित होकर प्रतिवादी/अपीलाण्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में पेश की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गयी। रैस्पो0 एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के विरूद्ध होने के कारण काबिल निरस्तनीय है। यह है कि चमेली ने विवादित आराजी के 1/2 भाग का विक्रय अपीलाण्ट के पक्ष में किया। तत्पश्चात् नामान्तकरण भी खुल गया। अधीनस्थ न्यायालय ने रैस्पो0 के पक्ष में विवादित आराजी की 2/3 भाग पर डिक्री दी गयी है। अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश में तनकी संख्या 5 महत्वपूर्ण तनकी है। अधीनस्थ न्यायालय में वसीयत को किसी भी गवाह से अथवा वसीयत लिखने वाले आदि किसी से भी प्रमाणित नहीं कराया गया। जबकि वसीयत को कम से कम एक गवाह से प्रमाणित कराया जाना आवश्यक है। यदि वसीयत को प्रमाणित नहीं कराया गया है तो वह वसीयत साक्ष्य में मान्य नहीं हो सकती। वसीयत दिनांक

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

08.04.1991 को की गयी एवं वसीयतकर्ता दिनांक 10.04.1991 को मर गया। इसलिये प्रथम दृष्टया वसीयत संदेह में है। यदि वसीयतनामा नहीं होता तो भूमि किसके हिस्से में जाती इस बाबत् तनकी ही नहीं बनाई। वसीयत के गवाह पूर्व में मर चुके थे ऐसा दावे में कहीं उल्लेख नहीं है। वसीयत दिनांक 08.04.1991 की है एवं दावा 2014 में किया, 23 साल बाद। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश विधि अनुरूप नहीं है। अपने तर्को के समर्थन में न्यायिक नजीर डीएनजे 2013 पेज 62, 2022(4) पेज 1663, आरआरटी 2009–10 पेज 61, 2011 (1) पेज 581 का उद्धरण प्रस्तुत करते हुये, अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

4. विद्वान अभिभाषक रैस्पों0 ने अपनी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश विधि अनुरूप है। अधीनस्थ न्यायालय में छोटे सिंह ने दावा किया, जो सहमति से डिक्री हुआ एवं डिक्री की पालना हेतु तहसीलदार को लिखा गया। वसीयत के दोनों गवाह मर चुके थे। अतः कैसे गवाही कराते। वसीयत रजिस्टर्ड है, जिसे अपीलाण्ट ने आज तक सक्षम न्यायालय से निरस्त नहीं कराया है। अंत में अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस उभयपक्ष पर मनन किया। प्रकरण में स्व0 छोटेलाल उर्फ छोटे सिंह की आराजी हिस्सा 1/3 पर विवाद है। वादी रैस्पों0 अपने पक्ष में स्व0 छोटेलाल उर्फ छोटे सिंह के द्वारा दिनांक 08.04.1991 को समस्त चल अचल सम्पत्ति की वसीयत करना कथन करते हैं। विवादित आराजी बाबत् पूर्व में भी स्व0 छोटेलाल उर्फ छोटे सिंह व मुस0 चमेली वेवा भुम्भजीत व मोहन देवी वेवा बाबूलाल के मध्य वाद दायर हुआ। जिसमें वादी रैस्पो0 पक्षकार मुकदमा नहीं थे। उक्त वाद में मुस0 चमेली वेवा भुम्भजीत व मोहन देवी ने छोटेलाल के पक्ष में इकबाल दावा प्रस्तुत किया है एवं अधीनस्थ न्यायालय ने इकबाल दावा के आधार पर छोटेलाल को आदेश दिनांक 05.02.1988 से विवादित आराजी का 1/3 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित किया है। परन्तु किन्हीं कारणो से उक्त डिक्री का अमल नहीं हो पाया। वादी रैस्पो0 वसीयत के आधार पर स्वयं को विवादित आराजी का 2/3 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित करने का दावा करते हैं। अभिभाषक अपीलाण्ट द्वारा दौराने बहस कथित वसीयत के क्रम में अनेको विरोधाभास रेखांकित किये हैं। चूंकि वसीयत ही दावे का आधार है। अतः वाद की सफलता के लिए, वसीयत का सक्षम न्यायालय से अधिप्रमाणक (Probate) होना परमावश्यक है। चूंकि वसीयत सक्षम न्यायालय से अधिप्रमाणित नहीं है, अतः हम अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश को विधि सम्मत नहीं कहा जा सकता है। उपरोक्त विवेचनानुसार हम अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार योग्य पाते हैं।

6. अतः आदेश है कि अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजाखेडा के निर्णय व डिक्री दिनांक 11.02.2021 अपास्त किये जाकर, प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को उपरोक्त तथ्यों की पृष्ठभूमि में उभयपक्षकारान को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर देते हुये पुनः विधिसम्मत एवं वसीयत के वैधता की जॉच कर निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता है। उभयपक्षकारान् को भी निर्देशित किया जाता है कि वह अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 02.12.2024 को सुनवाई हेतु उपस्थित होवें। पत्रावली फैसल शुमार होकर

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर (राज.)

नंबर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावें।

निर्णय आज दिनांक 19.11.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुनील आर्य)
आर.ए.एस.
भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)